(42)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

R 5538 II/16

निगरानी प्र0क्र0 /16

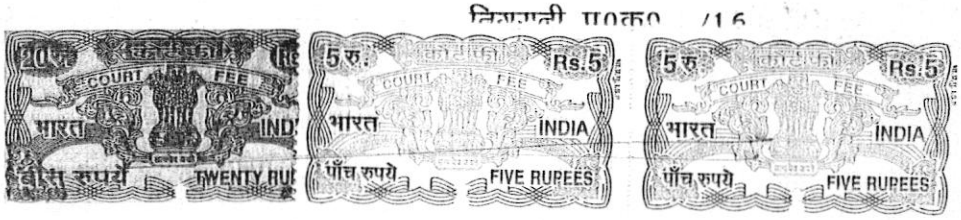

Rs. 30/-

राकेश पाण्डेय पिता नरेश पाण्डेय निवासी अजगरहा, तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

बनाम

रामकुमार पुजारी डोगरा हनुमान जी स्थित ग्राम अनंतपुर,तहसील हुजूर,जिला रीवा म0प्र0 ....गैर निगरानीकर्ता

अधि0 श्री प्रवेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत 22.12.16

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0के प्रकरण क्रमांक 1/अ6/निगरानी/2012-2013 राकेश पाण्डेय बनाम रामकुमार पुजारी मे पारित आदेश दिनांक 8.11.16 के बिरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

महोदय,

निगरानी का सूक्ष्म बिवरणः-

ग्राम अजगरहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0की पुराना भूमि खसरा क्रमांक 53 नया खसरा क्रमांक 68 रकवा 0.231हे0 का मालिक स्वामी रामनाथ तनय जुगुलकिशोर कायस्त दर्ज था, जिस भूमि को पंजीकृत बिक्रय बिलेख दिनांक 11 अक्टूबर 2010 से आवेदक ने क्रय कर लिया,जिस बिक्रय के आधार पर पंजी क्रमांक 1 दिनांक 12. 10.10 मे नामान्तरण के वास्ते दर्ज किया जाकर दिनांक 2.11.10 को तहसीलदार हुजूर जिला रीवा म0प्र0द्वारा आवेदक के नाम नामान्तरण प्रमाणित कर दिया गया,जिसे निरस्त करने हेतु अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर के न्यायालय मे पुनरबिलोकन का आवेदन इस आधार पर दिया गया कि आवेदक/निगरानीकर्ता फर्जी ब्यक्ति को खड़ा कर के बिक्रय पंजीयन कराया है जवकि भूमिस्वामी रामनाथ कायस्थ की मृत्यु बहुत पहले हो गयी थी, और रामनाथ कायस्थ ने उक्त भूमि को सन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5538–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 01/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 8–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया से स्पष्ट है कि कलेक्टर रीवा के समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर रिकार्ड में विचाराधीन हनुमान जी मंदिर के पाते हुये उक्त प्रश्नाधीन भूमि की पृथक से जानकारी संकलित कर उसमें हुए नामांतरणों को स्वयमेव निगरानी में परीक्षण किये जाने हेतु पृथक से मूलप्रकरण/पंजी के साथ विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार को आदेशित किया है। कलेक्टर द्वारा जांच हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया है जहां जांच की जाना है और आवेदक को भी अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	